

Filing no. RCS-A/772/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 212 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)**

**(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)**

Filing no. RCS-A/772/2017

CNR no. MP30010065752017

सिविल वाद क्रमांक 212 ए/2017

संस्थित दिनांक :-17/11/2017

1. उमाशंकर पुत्र किशनलाल, उम्र-65 वर्ष,
  2. सुरेन्द्र शर्मा पुत्र किशनलाल शर्मा, उम्र-55 वर्ष,
  3. महादेवी शर्मा पत्नी स्व0 प्रेमशंकर शर्मा, उम्र-54 वर्ष,
  4. अनूप शर्मा पुत्र स्व0 प्रेमशंकर शर्मा, उम्र-25 वर्ष,
- सभी निवासी-वार्ड क्रमांक 28 गुलाब बाग,  
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....आवेदकगण/वादीगण

**//बनाम//**

1. विनोद शर्मा पुत्र बाबूराम शर्मा, उम्र-60 वर्ष,
  2. अशोक पुत्र स्व0 आशाराम, उम्र-70 वर्ष,
  3. लिंकन पुत्र स्व0 रामकुमार शर्मा, उम्र-23 वर्ष,
  4. देवगर्त पुत्र स्व0 रामकुमार शर्मा, उम्र-25 वर्ष,
  5. देवेन्द्र शर्मा पुत्र केदार शर्मा, उम्र-55 वर्ष,
- सभी निवासी-वार्ड क्रमांक 28 गुलाब बाग,  
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री सुभाष गुप्ता।  
प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा श्री मुन्ना सिंह कुशवाह अधिवक्ता।  
प्रतिवादी क्रमांक 3, 4 व 5 एकपक्षीय।

**//आदेश//**

( आज दिनांक 16.03.2018 को घोषित )

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।
2. इस मामले में वार्ड क्रमांक 28, मोहल्ला गुलाब बाग स्थित वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शित अ, ब, स, द खुला स्थान (एतस्मिन् पश्चात् "विवादित स्थान" से निर्दिष्ट) पर स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।

3. आवेदन संक्षेप में यह है कि विवादित स्थान पहले कच्चे मकान के रूप में था, जिसे तोड़कर खुली जगह बना दी गई, इसी खुली जगह पर वादीगण के मकान की खिड़की व दरवाजे खुलते हैं, वादी क्रमांक 1 की छत पर जाने के लिये सीढ़ी बनी है, वादी क्रमांक 2 के मकान में जाने के लिये चैनल गेट लगा है और उक्त विवादित स्थान वादीगण को अपने पूर्वज रामभरोसे से प्राप्त हुआ है। वादीगण के पूर्वज रामभरोसे के द्वारा विवादित स्थान पर नीम का पेड़ लगाया गया था, विवादित स्थान पर ही वादीगण ने एक टीन सेड डलवाई है, इसी जगह पर वादीगण का टेन्ट का व अन्य सामान रखा रहता है, इसी विवादित स्थान के पूर्व में लोहे का एक मुख्य दरवाजा है जिससे होकर वादीगण अपने-अपने मकान में आते-जाते हैं और विवादित स्थान पर वादीगण का ही सभी प्रकार से निस्तार है। विवादित स्थान आज भी नगर पालिका के अभिलेखों में वादीगण के पूर्वज किशनलाल व केदार नाथ के नाम पर दर्ज है और प्रतिवादीगण का किसी भी रूप में उक्त विवादित स्थान से कोई संबंध नहीं है। दिनांक 21.01.2017 को प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने विवादित स्थान पर जबरन कब्जा करने के आशय से गद्दा खुदवाने का प्रयास किया और वादीगण द्वारा मना करने पर झगड़ा करने लगे। वादी क्रमांक 1 ने कानूनी सलाह के अनुसार एस0डी0एम0 के समक्ष धारा 145 द0प्र0सं0 का आवेदन प्रकरण क्रमांक 14/17 प्रस्तुत किया जिसमें यथास्थिति का आदेश पारित किया गया और राजस्व निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में भी विवादित स्थान पर मौके पर वादीगण का ही कब्जा होना प्रमाणित पाया गया। एस0डी0एम0 न्यायालय ने आदेश दिनांक 11.10.2017 से उक्त मामला इस आधार पर खारिज कर दिया कि उभयपक्ष के बीच समझौता हो गया है और शांति भंग की कोई आशंका नहीं रही। इसके बाद प्रतिवादीगण पुनः मौके पर निर्माण करना चाहते हैं, दिनांक 08.11.2017 को प्रतिवादीगण ने यह धमकी दी कि वे विवादित स्थान पर निर्माण कार्य करेंगे जबकि विवादित स्थान से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है, प्रतिवादीगण के मकान का मुख्य दरवाजा बगल में स्थित गली से है और वादीगण द्वारा ही विवादित स्थान का उपयोग-उपभोग किया जा रहा है। उक्त तथ्यों के आधार पर स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद संस्थित किया गया है, प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है, विवादित स्थान पर निर्माण हो जाने की दशा में वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी और आवेदन स्वीकार कर वाद के लम्बनकाल तक विवादित स्थान का विक्रय या विवादित स्थान पर निर्माण कार्य निषेधित किया जाये और यथास्थिति का आदेश दिया जाये।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का संयुक्त जवाब संक्षेप में यह है कि विवादित स्थान वादीगण की पैत्रिक सम्पत्ति नहीं है, वादीगण ने स्व0 किशनलाल की दो पुत्री कुसुमा व सरला को पक्षकार नहीं बनाया है और आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। विवादित स्थान का उपयोग प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही करते चले आ रहे हैं, प्रतिवादीगण के मकान की खिड़कियाँ व परनाला विवादित स्थान पर ही खुलता है, विवादित स्थान पर ही प्रतिवादीगण की गाड़ी खड़ी होती है और विवादित

स्थान प्रतिवादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 का ही है। विवादित स्थान पर वादी क्रमांक 2 के साथ ही प्रतिवादीगण के मकान का दरवाजा, खिड़की व परनाला स्थित है और विवादित स्थान की वास्तविक लम्बाई-चौड़ाई 23 गुणा 60 फीट है। विवादित स्थान पर प्रतिवादीगण के पिता द्वारा नीम का पेड़ लगाया गया था, प्रतिवादीगण के ही पशु बँधते हैं और वादीगण ने झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों पर वाद संस्थित किया है। नगर पालिका के अभिलेखों में वादीगण का मकान दर्ज है, विवादित स्थान या खुली जगह पर वादीगण का कोई स्वत्व नहीं है, दिनांक 21.01.2012 को प्रतिवादीगण ने गद्ढा खोदन का कोई प्रयास नहीं किया और राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर जाँच के बाद प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर धारा 145 दं0प्र0सं0 का आवेदन खारिज किया गया है। वादीगण के पक्ष में कोई मामला नहीं है, झूठे तथ्यों के आधार पर वाद संस्थित कर वास्तव में वादीगण ही विवादित स्थान पर कब्जा करना चाहते हैं और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाये।

**5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-**

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

**निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार**

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-**

6. वादी की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन के समर्थन में धारा 145 दं0प्र0सं0 के प्रकरण क्रमांक 14/17 गुणा 145 की आदेश पत्रिका, राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन, पंचनामा व फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये हैं, प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन, पंचनामा व मौके का नक्शा प्रस्तुत किया गया है।

7. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि विवादित स्थान खुली जगह है, प्रतिवादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से प्रस्तुत राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन व संलग्न नजरी-नक्शा के अनुसार विवादित स्थल पर प्रतिवादी क्रमांक 1 विनोद शर्मा व वादी क्रमांक 1 उमाशंकर का परनाला स्थित है, विवादित स्थान पर ही टीन शेड लगा है, नीम का पेड़ भी है और इस नजरी-नक्शा में दर्शित अवस्थिति के अनुसार विवादित स्थान पर प्रतिवादी क्रमांक 1 विनोद शर्मा का दरवाजा खुलता है।

8. वादपत्र के साथ संलग्न नजरी-नक्शा में दर्शित विवादित स्थान की अवस्थिति और प्रतिवादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से प्रस्तुत राजस्व निरीक्षक के

प्रतिवेदन के साथ संलग्न नजरी-नक्शा में सारतः केवल यह भिन्नता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 विनोद के मकान का एक दरवाजा विवादित स्थान की ओर खुलता है या नहीं। वादपत्र के साथ संलग्न नजरी-नक्शा में प्रतिवादी क्रमांक 1 विनोद शर्मा के मकान का कोई दरवाजा विवादित स्थान की ओर नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के साथ संलग्न नजरी-नक्शा में प्रतिवादी क्रमांक 1 विनोद शर्मा के मकान का दरवाजा विवादित स्थान की ओर दर्शाया गया है।

9. वादीगण द्वारा धारा 145 दं०प्र०सं० का प्रकरण क्रमांक 14/17 गुणा 145 एस०डी०एम० भिण्ड के न्यायालय में संस्थित किया गया है, इस आवेदन के लंबित रहते हुए राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन आहूत किया गया है और राजस्व निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि "अनावेदक विनोद शर्मा (इस मामले में प्रतिवादी क्रमांक 1) का मकान का पीछे का गेट इसी प्लॉट (खाली जगह) में खुलता है किन्तु मुख्य गेट दूसरी ओर (दक्षिण दिशा) में सीधा गली में खुलता है।" उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 विनोद शर्मा के मकान का एक दरवाजा विवादित स्थान पर भी खुलता है।

10. विवादित स्थान वादीगण व प्रतिवादीगण के मकान से सम्पृक्त खुली जगह है, स्वत्व के बिन्दु पर उभयपक्ष द्वारा अपना-अपना दावा किया गया है और स्वत्व के प्रश्न का निराकरण साक्ष्य के उपरान्त गुण-दोष पर ही किया जा सकता है। नगर पालिका परिषद् में प्रविष्टि के आधार पर वादीगण के स्वत्व का बिन्दु इस प्रक्रम पर निराकृत नहीं किया जा सकता है और यह साक्ष्य का विषय है कि नगर पालिका परिषद् में प्रविष्टि स्थान वास्तव में विवादित स्थान ही है या नहीं।

11. वादीगण की ओर से प्रस्तुत विवादित स्थान के फोटोग्राफ से यह स्पष्ट है कि विवादित स्थान खुली जगह है, प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन व मौके के नजरी-नक्शा के अनुसार भी विवादित स्थान खुली जगह है और वाद के लम्बन के दौरान निर्माण कार्य किये जाने की दशा में वाद का उद्देश्य विफल हो जाएगा। वादीगण ने अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन में यह मुख्य अनुतोष यह चाहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 मौके पर कोई निर्माण कार्य न करें और मौके पर यथास्थिति बनाये रखी जाये।

12. वादीगण की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ के अनुसार मौके की स्थिति को प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से विवादित नहीं किया गया है, प्रस्तुत चार फोटोग्राफ आर्टिकल-ए व आर्टिकल-बी में मौके की स्थिति स्पष्ट हो रही है और मौके की स्थिति को अभिलेख पर लेने के उद्देश्य से फोटोग्राफ पर आर्टिकल-ए व आर्टिकल-बी अंकित किया गया।



13. फोटोग्राफ एवं उभयपक्ष के अभिवचन से यह स्पष्ट है कि विवादित स्थान वादी क्रमांक 1 के घर के सामने स्थित है, विवादित स्थान पर प्रतिवादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा निर्माण की दशा में वादी क्रमांक 1 के घर का मुख्य मार्ग अवरुद्ध होने की युक्तियुक्त आशंका है और उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में वाद के लम्बनकाल तक विवादित स्थान को संरक्षित किया जाना समीचीन है।

14. अतः किसी भी पक्ष के विजयी होने की संभावना पर विचार किये बिना वाद के लम्बनकाल के दौरान विवादित स्थान को संरक्षित करने, वाद की बहुलता के निवारण हेतु वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/17 स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को निषेधित किया जाता है कि वे वाद के लम्बन के दौरान विवादित स्थान पर कोई निर्माण कार्य न करें और उभयपक्ष फोटोग्राफ आर्टिकल-ए व आर्टिकल-बी में दर्शित मौके की स्थिति के अनुरूप वाद के लम्बनकाल तक यथास्थिति बनाये रखें। इस आदेश का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के  
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड  
(म0प्र0)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के  
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड  
(म0प्र0)